न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 82 / 2021 तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

गोपाल दास पिता कन्हैयालाल जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... प्रार्थी

बनाम

01. प्रकाश पिता शोभालाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. महावीर पिता भंवरदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. मुरली पिता नाथु जाति बंजारा उम्र वयस्क, निवासी चम्पापुर, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. गोरू पिता मांगु बंजारा उम्र वयस्क, निवासी चम्पापुर, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. रोडु पिता मांगु बंजारा उम्र वयस्क, निवासी चम्पापुर, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक30 /11 /2021

प्रार्थना पत्र गोपाल दास पिता कन्हैयालाल जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री मोहन लाल जोशी, सुमीत जोशी, जशवंत सिंह सोलंकी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम आटी, पटवार हल्का गुढा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या,तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 43 पर आराजी संख्या 472/4 रकबा 0.8094 है0 भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान ...कांस्या... में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074– 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आटी, पटवार हल्का गुढा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या,तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 43 पर आराजी संख्या 472/4 रकबा 0.8094 है0 भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100/–** रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500/–** रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

प्रशासन गांवों संग अभियान-2021 ★ उप खण्ड बिजौलियां ★
सत्यमेव जयते

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

गोपालदास बनाम प्रकाश

किस्म मुकदमा – 111 — 128 नम्बर 82 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/9 /2021	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पेरोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/10 /2021 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियां (भीलवाड़ा)	
30/11/2021	पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में शिविर स्थान काँस्या में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियां (भीलवाड़ा)	